

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)

// विविध आदेश //

क्रमांक : **क** / पांच-1-1/02

कटनी, दिनांक : **10.6.2023**

पंचम जिला न्यायाधीश कटनी के न्यायालय में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो जाने के परिणामस्वरूप मैं, धरमिंदर सिंह राठौड़, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी, म0प्र0सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं धारा 21 (4) के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कार्यविभाजन आदेश दि. 25.08.2022 के पृष्ठ क्रमांक में सरल क्रमांक 7 ब के कालम नं. 4 में पंचम जिला न्यायाधीश कटनी के न्यायालय हेतु निर्धारित किया गया नये सिविल प्रकरणों का समस्त क्षेत्राधिकार उक्त न्यायालय से विलोपित कर नवम जिला न्यायाधीश कटनी (श्री आर0के0यादव) को प्रदान करता हूं।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



(धरमिंदर सिंह राठौड़)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म0प्र0

पृष्ठांकन क्रमांक **1673** / पांच-1-1/02

कटनी, दिनांक : **10.6.2023**

प्रतिलिपि :-

- 1- समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीशगण कटनी/विजयराघवगढ़
- 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी
- 3- समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी/विजयराघवगढ़/बरही/ढीमरखेड़ा
- 4- समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी/विजयराघवगढ़  
की ओर पालनार्थ प्रेषित।
- 5- अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ कटनी/विजयराघवगढ़/बरही/ढीमरखेड़ा
- 6- अध्यक्ष तहसील अधिवक्ता संघ विजयराघवगढ़
- 7- अध्यक्ष तहसील अधिवक्ता संघ बरही
- 8- अध्यक्ष तहसील अधिवक्ता संघ ढीमरखेड़ा
- 9- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 10- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट कटनी  
की ओर इस आदेश की पी0डी0एफ0कॉपी सभी सम्बंधितों की ओर ई-मेल एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्रेषित किये जाने बाबत



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म0प्र0